अध्याय I
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी ए जी) का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत सरकार के अर्न्तगत मंत्रालय {एम ओ सी तथा इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)}[1] एवं इन मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) से सम्बन्धित वित्तीय लेन–देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों से सम्बन्धित है।

यह अध्याय मंत्रालयों/विभागों और इन मंत्रालयों के अर्न्तगत संस्थाओं का खाका प्रदान करने के साथ उनके व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण उपलब्ध कराता है। इस अध्याय में मंत्रालयों/विभागों और मंत्रालयों के अधीन पी एस यू के लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों की अनुवर्ती कार्यवाही भी सम्मिलित है। अध्याय II से IV डाक विभाग (डी ओ पी), इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) और इन मंत्रालयों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के अनुपालन लेखापरीक्षा से प्राप्त वर्तमान निष्कर्षों/पर्यवेक्षणों से सम्बन्धित हैं।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु एवं संसद को प्रतिवेदित करने हेतु प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 तथा सी ए जी के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से उत्पन्न होता है। सी ए जी, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी ए जी के (डी पी सी) अधिनियम की धारा 13[2] और 17[3] तथा पी एस यू की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 19 के तहत करता है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

सी ए जी द्वारा प्रख्यापित लेखापरीक्षा मानकों और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपादित सिद्धान्तों और व्यवहारों के अनुरुप लेखापरीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया मंत्रालय/विभागों के जोखिम के आँकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम मूल्याँकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा तय की जाती है।

---

[1] संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बांटते हुए 19 जुलाई 2016 को इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) को एक पूर्ण मंत्रालय बना दिया गया जो अब इलैक्ट्रानिकी एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) कहलाता है।

[2] (i) भारत के समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से सम्बन्धित सभी लेन–देन तथा (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि लेखे, तुलनपत्र तथा अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा

[3] संघ अथवा राज्य के किसी विभाग अथवा कार्यालय में रखे गये भण्डार एवं स्टॉक के लेखों की लेखापरीक्षा एवं प्रतिवेदन

लेखापरीक्षित इकाइयों की रुपरेखा

1.4 संचार मंत्रालय

1.4.1 दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, अनुश्रवण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार[4] है। विभाग आवृत्ति का आबंटन भी करता है और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियो संचार का प्रबन्धन करता है। यह बेतार नियामक उपायों को लागू करने और देश में सभी उपयोगकर्ताओं के बेतार संचरण का अनुश्रवण करने के लिए भी जिम्मेदार है। सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, विभाग विभिन्न शहरों और दूरसंचार सर्किलों में आधारभूत व मूल्यवर्धित सेवाएं देने हेतु ऑपरेटरों को लाइसेन्स प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

➢ व्यय विश्लेषण

वर्ष 2015-16 और पिछले चार वर्षों के दौरान हुए डी ओ टी के व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका-1
डी ओ टी के राजस्व और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व	17,400.92	18,902.00	40,113.76	30,624.18	55,129.10
व्यय	8,692.16	9,273.38	10,835.57	13,026.14	23,584.81

(स्रोतः डी ओ टी के विनियोग एवं वित्तीय लेखे)

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका -2
प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
लाइसेंस शुल्क	11,790.93	11,456.48	14,628.47	12,358.29	15,771.27
स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार	5,192.30	5,679.19	6,883.67	1,7841.93[5]	36,486.91
नीलामी राजस्व	–	1,722.24	18,267.18	-	-

(स्रोतः डी ओ टी का वार्षिक प्रतिवेदन)

➢ दूरसंचार क्षेत्र की संक्षिप्त रुपरेखा

दूरसंचार, देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रुप में विकसित हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले दशक के दौरान एक असाधारण वृद्धि देखी। 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान, टेलीफोन ग्राहकों की

[4] डी ओ टी का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन

[5] ₹ 17,841.93 करोड़ के स्पैक्ट्रम उपयोग चार्जेज में नीलामी फीस भी सम्मिलित है।

संख्या 951.34 मिलियन से बढ़कर 1,059.33 मिलियन हुई। दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए समग्र विकास की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका-3
दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति

वर्ष	उपभोक्ता (मिलियन में)					संचार घनत्व (प्रतिशत में)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	वायरलाइन	वायरलेस	समग्र	ग्रामीण	शहरी
2011-12	951.34	330.82	620.52	32.17	919.17	78.66	39.22	169.55
2012-13	898.02	349.22	548.80	30.21	867.81	73.32	41.02	146.96
2013-14	933.00	377.74	555.26	28.49	904.51	75.23	43.96	145.78
2014-15	996.49	419.31	577.18	26.60	969.89	79.38	48.37	148.61
2015-16	1059.33	447.77	611.56	25.22	1034.11	83.40	51.26	154.18

(स्रोतः टेलीकॉम रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इण्डिया (ट्राई) के वार्षिक प्रतिवेदन)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान उपभोक्ता आधार के संदर्भ में दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि नीचे दिये गये ग्राफ में दर्शायी गयी है:

उपभोक्ता आधार में वृद्धि–निजी बनाम पी एस यू
उपभोक्ताओं की सँख्या (मिलियन में)

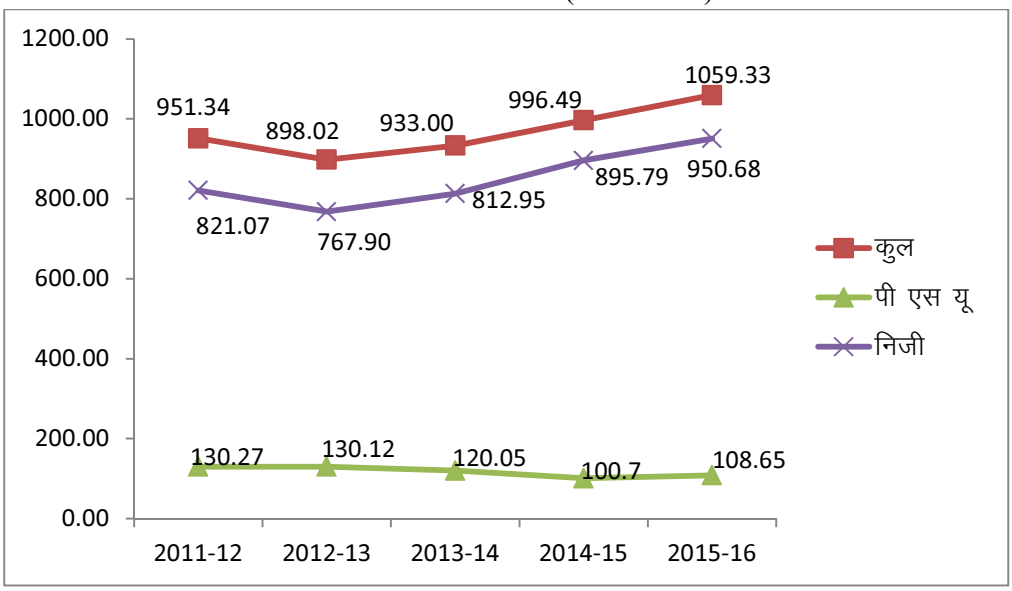

(स्रोतः ट्राई के वार्षिक प्रतिवेदन)

जैसा कि ऊपर ग्राफ से स्पष्ट है, कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की तुलना में निजी दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ता आधार महत्वपूर्ण है। अन्तिम पांच वर्षों की अवधि में पी एस यू का उपभोक्ता आधार 16.60 प्रतिशत से घट गया जबकि निजी कम्पनियों के उपभोक्ताओं की 13.63 प्रतिशत से बढ़ोतरी हो गयी।

➢ क्षेत्र का नियामक ढाँचा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

ट्राई की स्थापना, दरों में निर्धारण/संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने हेतु, जो पहले केन्द्र सरकार में निहित था, संसद के एक अधिनियम द्वारा 20 फरवरी 1997 को की गई थी। ट्राई का मुख्य उद्धेश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाला हो, सभी सेवा प्रदाताओं को एक समान अवसर प्रदान करें,

उपभोक्ताओं के हितो का संरक्षण करें तथा सभी को प्रौद्योगिकी लाभ दिलाने वाला हो। ट्राई अधिनियम के तहत ट्राई को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है

- लाइसेंस के नियमों व शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाले सेवा गुणवत्ता का मानक निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
- टैरिफ पालिसी निर्धारित करना एवं नये सेवा प्रदाताओं के प्रवेश हेतु शर्तो साथ ही साथ सेवा प्रदाता को लाइसेंस के लिये नियमों व शर्तों की अनुशंसा करना;
- टैरिफ पालिसी के अनुक्रमण, वाणिज्यिक तथा अंतःसंयोजन के तकनीकी पहलुओं से सम्बन्धित मामलों पर विचार व निर्णय;
- काल राउटिंग एवं काल हैंडओवर के सिद्धांत;
- जनता के लिये विभिन्न सेवा प्रदाताओं में चुनने की स्वतंत्रता एवं समान आसान पहुँच;
- बाजार विकास तथा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिये विविध नेटवर्क ढांचों के कारण उत्पन्न हो सकने वाले संघर्ष का समाधान;
- विद्यमान नेटवर्क व प्रणालियों को और उन्नत करने की आवश्यकता; और
- सेवा प्रदाताओं में बातचीत तथा उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण की बातचीत के लिए फोरम विकसित करना;

सरकार के दिनांक 9 जनवरी 2004 की अधिसूचना द्वारा ब्राडकास्टिंग सेवाओं एव केबल सेवाओं को दूरसंचार सेवा के रूप में परिभाषित किया, इस प्रकार इस क्षेत्र को ट्राई के अन्तर्गत लाया गया। ट्राई के लिए आवश्यक है कि वह या तो स्वयं या फिर लाइसेंस प्रदाता अर्थात दूरसंचार विभाग, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अथवा सूचना व प्रसारण मंत्रालय से ब्राडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं के संबंध में संदर्भ प्राप्त होने पर, सिफारिशें दे।

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी डी सैट)

एक लाइसेंस प्रदाता और एक लाइसेंसधारी के मध्य, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के मध्य, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के मध्य किसी भी विवाद का निर्णय करने के लिए तथा ट्राई के किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध सुनवाई और अपील के निपटान के लिए 24 जनवरी 2000 से प्रभावी टी डी सैट की स्थापना ट्राई अधिनियम में एक संशोधन के जरिए हुई थी।

➢ डी ओ टी की महत्वपूर्ण इकाइयाँ

दूरसंचार विभाग में, दूरसंचार प्रवर्तन एवं संसाधन अनुश्रवण (टर्म) प्रकोष्ठ, नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए), वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डीनेशन विंग (डब्ल्यू पी सी), दूरसंचार अभियंत्रिकी केन्द्र (टी ई सी), राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान संस्थान (एन टी आई), राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एन आई सी एफ) तथा टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) जो कि अनुसंधान व विकास (आर एण्ड डी) इकाई है, शामिल हैं।

➢ सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ फण्ड)

ग्रामीण दूरभाष को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ फण्ड) का गठन किया। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू एस ओ) को पूरा करने के लिए संसाधन सार्वभौमिक अभिगम उद्गृहण (यू ए एल), के माध्यम से, जो कि विभिन्न लाइसेंसों के अन्तर्गत सभी संचालकों द्वारा अर्जित राजस्व का कुछ प्रतिशत था, से जुटाए जाने थे। भारतीय तार अधिनियम, 2003 के पैरा 9बी के अनुसार, यू एस ओ फण्ड के लिये प्राप्त धन राशि को पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा, और केन्द्र सरकार, यदि संसद इस निमित्त कानून द्वारा विनियोग से ऐसा प्रदान करती है, समय–समय पर ऐसी आय को सार्वभौमिक सेवा दायित्व को विशेष रुप से पूरा करने के उपयोग हेतु निधि में जमा कर सकती है। तदनुसार 31 मार्च 2016 तक यू एस ओ उद्गृहण के रूप में ₹ 75,952.93 करोड़ की राशि डी ओ टी द्वारा एकत्र की गई, जिसे भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया गया था। तथापि, डी ओ टी द्वारा इस राशि में से मात्र ₹ 30,083.47 करोड़ संसद के विनियोग द्वारा डी ओ टी में 31 मार्च 2016 तक प्राप्त किये गये तथा यू एस ओ फण्ड में जमा किये। इसमें वर्ष 2002-06 के दौरान लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार के रुप में भारत संचार निगम लिमिटेड को 2008-09 में यू एस ओ फंड के अन्तर्गत ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने के एवज में प्रतिपूर्ति किये गये ₹ 6,948.64 करोड़ भी सम्मिलित हैं।

1.4.2 विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी एस यू)

विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पी एस यू का संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गयी है:

भारत संचार निगम लिमिटेड

अक्टूबर 2000 में गठित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर, देश के कोने–कोने में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बी एस एन एल एक तकनीक उन्मुख कम्पनी है तथा जो विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाएं नामत: लैंडलाइन पर दूरभाष सेवायें, वायरलेस इन लोकल लूप, डब्ल्यू एल एल एवं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशनस (जी एस एम), ब्राडबैंड, इन्टरनेट, लीज्ड सर्किट एवं लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 32,918.70 करोड़ था व इसे ₹ 3,879.92 करोड़ की हानि हुई।

विगत तीन वर्षों में कम्पनी का समग्र निष्पादन नीचे वर्णित है:

तालिका-4
विगत तीन वर्षों में बी एस एन एल का निष्पादन

वर्ष	राजस्व	व्यय	अभिदाता बेस		
			वायरलाइन	बेतार	कुल
	(₹ करोड़ में)		(करोड़ में)		
2013-14	27,996.35	34,929.60	1.85	9.47	11.32
2014-15	28,645.20	37,292.10	1.64	7.72	9.36
2015-16	32,918.70	36,742.72	1.48	8.68	10.16

उपरोक्त डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कम्पनी के राजस्व में विगत तीन वर्षों के दौरान उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शाई है, तथा पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में खर्चे में भी कमी हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 में वायरलाइन व बेतार उपभोक्ताओं का अभिदाता आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में कम हुआ है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) को एक पूर्ण स्वामित्व सरकारी कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत 1986 में स्थापित किया गया था तथा यह दिल्ली व मुम्बई में दूरसंचार नेटवर्क का नियंत्रण, प्रबन्धन व प्रचालन के लिये उत्तरदायी है। एम टी एन एल इन दो महानगरों में फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवा एवं जी एस एम मोबाइल सेवा का प्रमुख प्रदाता है। एम टी एन एल पृथक गैर-विशिष्ट लाइसेंस करार के अन्तर्गत दिल्ली व मुम्बई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। यह ब्रॉडबैंड व 3जी सेवायें भी प्रदान कर रहा है। सरकार ने वर्ष 1994 में 20 प्रतिशत अंश बैंक/उनके सहायक और वित्तीय संस्थानों में विनिवेश किये। एम टी एन एल अभी तक एक सूचीबद्ध कम्पनी है और 56.25 प्रतिशत अंश सरकार के पास और शेष निजी अंशधारको के पास है। वर्ष 2015-16 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 3,512.71 करोड़ था और इसे ₹ 2,005.74 करोड़ की हानि हुई।

विगत तीन वर्षों में कम्पनी का समग्र निष्पादन नीचे वर्णित है:

तालिका-5
विगत तीन वर्षों में एम टी एन एल का निष्पादन

वर्ष	राजस्व	व्यय	अभिदाता बेस		
			वायरलाइन	बेतार	कुल
	(₹ करोड़ में)		(करोड़ में)		
2013-14	3,787.37	6,870.41	0.35	0.34	0.69
2014-15	3,821.06	6,723.48	0.36	0.35	0.71
2015-16	3,512.71	6,351.19	0.35	0.36	0.71

वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में कम्पनी का राजस्व घट गया। वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि में खर्चे में एक अधोगति पृवत्ति दिखाई दी। वायरलाइन एवं बेतार उपभोक्ताओं का अभिदाता आधार कमोबेस वही रहा।

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) द्वारा मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) का निर्माण वर्ष 2000 में एक पूर्ण स्वामित्व सहायक कम्पनी के रूप में सबमेरिन केबिल परियोजना की स्थापना तथा आई टी समाधान के लिये किया गया। वर्ष 2015-16 में कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 1.80 करोड़ था और इसने ₹ 0.29 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

भारतीय दूरभाष उद्योग लिमिटेड (आई टी आई)

आई टी आई दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का अग्रणी उद्यम है। आई टी आई ने 1948 में बंगलूरू में अपने संचालन प्रारम्भ किया जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली और मनकापुर तथा केरल में पालक्काड में निर्माण सयंत्र स्थापित कर अन्य क्षेत्रों में आगे विस्तारित किया। कम्पनी का कुल राजस्व वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1,674.92 करोड़ था तथा वह ₹ 251.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड (टी सी आई एल)

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड (टी सी आई एल) की स्थापना, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से, विदेशी एवं घरेलू बाजारों में उचित विपणन रणनीति विकसित कर तथा अत्याधुनिक तकनीक को प्राप्त कर अपने संचालनों में उत्कृष्ट होने के लिये वर्ष 1978 में हुई थी। वर्ष 2015-16 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 1,358.21 करोड़ था तथा इसने ₹ 36.52 करोड़ लाभ अर्जित किया।

तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड (टी टी एल)

तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड को, टी सी आई एल (49 प्रतिशत), तमिलनाडु इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (टी आई डी सी ओ) (14.63 प्रतिशत) तथा फुजीकुरा लिमिटेड ऑफ जापान (7.18 प्रतिशत) की एक त्रिकोणीय संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 1988 में निगमित गया था। बाकी अंश बैंकों व वित्तीय संस्थानों, प्राइवेट ट्रस्ट, एन आर आई व भारतीय जनता के पास है। टी टी एल दूरसंचार के लिये आप्टीकल फाइबर केबिल का निर्माण करती है। यह कम्पनी बी आई एफ आर को सन्दर्भित है व 21 जुलाई 2010 को पुनर्गठन की एक योजना को संस्वीकृति प्रदान की गई थी। इसने टेबलेट पी सी व एफ टी टी एच (फाइबर टू होम) घटकों में भी जाकर विविधता की। वर्ष 2015-16 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 4.19 करोड़ था व कम्पनी को ₹ 15.95 करोड़ की हानि हुई।

इंटेलीजेन्ट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आई सी एस आई एल)

इंटेलीजेन्ट कम्यूनिकशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आई सी एस आई एल) को टी सी आई एल और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (डी एस आई आई डी सी) जो दिल्ली सरकार का एक उपक्रम है, की एक संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 1987 में निगमित किया गया, जिसमें टी सी आई एल के पास 36 प्रतिशत अंश तथा डी एस आई आई डी सी के पास 40 प्रतिशत अंश है। कम्पनी प्रख्यात ब्राण्डों की हार्डवेयर वस्तुएँ जैसे कम्प्यूटर/दूरसंचार/आई टी आदि के व्यापार में संलिप्त है। यह कम्पनी विभिन्न संगठनों को जनशक्ति उपलब्ध कराती है तथा लाइसेंस धारकों द्वारा व्यक्तिगत समझौता के अंतर्गत प्रत्येक को शिक्षा उपलब्ध कराती है। यह कम्पनी हार्डवेयर वस्तुओं के वार्षिक अनुरक्षण का भी कार्य अपने हाथ में लेती है। वर्ष 2015-16 में कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 114.58 करोड़ था तथा इसने ₹ 3.20 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

टी सी आई एल-बीना टोल रोड लिमिटेड

टी सी आई एल-बीना टोल रोड़ लिमिटेड, टी सी आई एल की पूर्ण धारित सहायक कम्पनी है तथा इसे 2012 में निगमित किया था। इस कम्पनी की संरचना, ढांचागत परियोजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया, पर आधारित यथा डिज़ाइन, निर्माण, वित, संचालन एवं हस्तांतरण (डी बी एफ ओ टी) आधार पर मध्यप्रदेश, भारत में बीना एवं कुरवाई नगर के बीच टोल रोड़ परियोजना। कम्पनी ने अपना वाणिज्यिक प्रचालन अप्रैल 2014 में प्रारम्भ किया। कम्पनी का वर्ष 2015-16 में कुल राजस्व ₹ 4.85 करोड़ था एवं इसने ₹ 10.43 करोड़ की हानि का वहन किया।

टी सी आई एल-लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड

टी सी आई एल-लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड, जो भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड (टी सी आई एल) की पूर्ण धारित सहायक कम्पनी है, को वर्ष 2013 में निगमित किया गया। यह एक विशेष उददेश्य वाहन (एस पी वी) है जिसका गठन लखनाडोन टोल रोड परियोजना के विकास के लिये मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एम पी आर डी सी) के साथ रियायतग्राही अनुबंध के क्रियान्वयन के उद्देश्य से हुआ। सितम्बर 2011 में टी सी आई एल द्वारा एम पी आर डी सी के साथ रियायतग्राही अनुबंध हुआ और अगस्त 2014 में टी सी आई एल, एम पी आर डी सी और कम्पनी के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ ताकि टी सी आई एल के नाम को हटाकर कम्पनी का नाम रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, परियोजना की समाप्ति तक टी सी आई एल एक सहायक संगठन के रूप में काम करेगी और इसे कम्पनी को सौंप देगी। कम्पनी ने अभी तक राजस्व अर्जित करना शुरू नहीं किया है क्योंकि टोल रोड का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है परन्तु वर्ष 2015-16 में ₹ 0.04 करोड़ की हानि उठाई है।

भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल)

भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल), जो एक विशेष उद्देश्य वाहन (एस पी वी) है, को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क परियोजना (एन ओ एफ एन) निष्पादित करने हेतु 2012 में भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत निगमित किया गया। बी बी एन एल को, देश के लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जी पी) को पी एस यू नामतः बी एस एन एल, रेलटेल एवं पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबरों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ ग्राम पंचायतों और ब्लाकों के मध्य सम्पर्कता अन्तर को भरने के लिये अतिरिक्त फाइबर बिछाने की, जिम्मेदारी दी गई है, जो कि पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ ब्राडबैंड सम्पर्कता सुनिश्चित करेगा। कम्पनी का वर्ष 2015-16 में कुल राजस्व ₹ 13.31 करोड़ था और इसने ₹ 8.43 करोड़ की हानि उठाई।

हेमिस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एच पी आई एल)

हेमिस्फीयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एच पी आई एल), जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है, को 2005 में निगमित किया गया था और 18 मार्च 2014 से यह सरकारी कम्पनी हो गई। भारत सरकार व मैसर्स पानाटोन फीनवेस्ट लिमिटेड तथा अन्य टाटा कम्पनियों के मध्य 13 फरवरी 2002 को अंश क्रय करार के क्लाज़ 7.10 व अंशधारक करार के क्लाज़ 4.7 के अनुसार कम्पनी को निगमित किया गया था, जिसमें वी एस एन एल के गैर–निवेश के समय पहचान की गई अधिशेष भूमि कम्पनी में विसम्बद्ध हो जानी थी। दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत सरकार 51.12 प्रतिशत इक्विटी अंश का स्वामित्व रखती है और बाकी बचे हुये अंश मैसर्स टाटा केपिटल लिमिटेड एवं आफ्ताब़ इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्व में है। कम्पनी की दत्त अंश पूँजी ₹ 5.00 लाख है। कम्पनी ने वर्ष 2015-16 में ₹ 6.38 लाख की राजस्व अर्जित की एवं ₹ 0.21 लाख की संचित हानि उठाई है।

1.4.3 डाक विभाग (डी ओ पी)

भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसके अन्तर्गत 1.54 लाख से अधिक डाकघर हैं तथा यह देश के दूरस्थ किनारों तक फैला हुआ है। जबकि विभाग की मुख्य

गतिविधि डाक का प्रसंस्करण, प्रेषण एवं वितरण है, विभाग द्वारा विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं जिनमें धन प्रेषण, बैंकिग के साथ साथ बीमा भी शामिल है, प्रदान की जाती हैं। यह सैन्य एवं रेलवे पेंशन भोगियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के संवितरण, कोयला खदानों के कर्मचारियों के परिवारों एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों की पारिवारिक पेंशन के संवितरण के कार्य में भी लगी है। डाक विभाग ने सामाजिक लाभ के भुगतानों जैसे मनरेगा व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की भी जिम्मेदारी ली है।

वित्तीय निष्पादन

विभाग की आय 'राजस्व प्राप्तियाँ' एवं 'वसूलियों'[6] के रूप में होती है। डाक विभाग के वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की राजस्व प्राप्तियों, वसूलियों एवं राजस्व व्यय को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका -6
डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	वसूलियाँ	राजस्व व्यय	घाटा (2)+(3)-(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011-12	7,899.35	458.64	14,163.91	5,805.92
2012-13	9,366.50	688.77	15,481.15	5,425.88
2013-14	10,730.42	593.19	16,796.71	5,473.10
2014-15	11,635.98	661.98	18,556.56	6,258.60
2015-16	12,939.79	707.70	19,654.67	6,007.18

(स्रोतः डी ओ पी के विनियोजन लेखे)

वर्ष 2015-16 में डाक सेवाओं[7] पर ₹ 6,007.18 करोड़ का घाटा था। विभाग द्वारा घाटे का मुख्य कारण वेतन में वृद्धि, घरेलू यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवा व अन्य प्रभारों इत्यादि में बढ़े हुए व्यय के कारण कार्यचालन व्ययों में वृद्धि, बताई गई। वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में डाक सेवाओं में घाटे की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् है:

डाक सेवाओं में घाटा

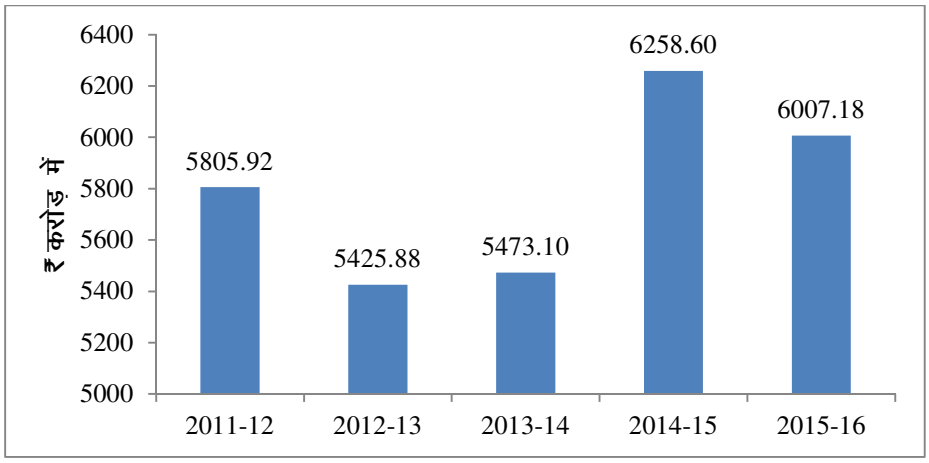

[6] यह दूसरे सरकारों तथा संघ सरकार के विभागों को प्रदान की गई सेवाओं के मद में वसूलियों को दर्शाता है।
[7] घाटे की गणना राजस्व प्राप्तियों एवं वसूलियों तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर पर की गयी है यथा, {(₹12,939.79 + ₹707.70) - ₹19,654.67}

1.5 इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

एम ई आई टी वाई, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एम ई आई टी वाई की परिकल्पना, विकसित राष्ट्र एवं सशक्त समाज में परिवर्तन हेतु यंत्र के रूप में भारत का ई–विकास करना है।

भारतीय आई टी उद्योग, भारत के जी डी पी, निर्यात व रोजगार में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता रहा है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि का भारतीय इलेक्ट्रानिकी एवं आई टी–आई टी ई एस (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं) उद्योग के उत्पादन एवं वृद्धि नीचे चार्ट में दिया गया है:

इलेक्ट्रानिकी एवं आई टी उत्पादन

(₹ करोड़ में)

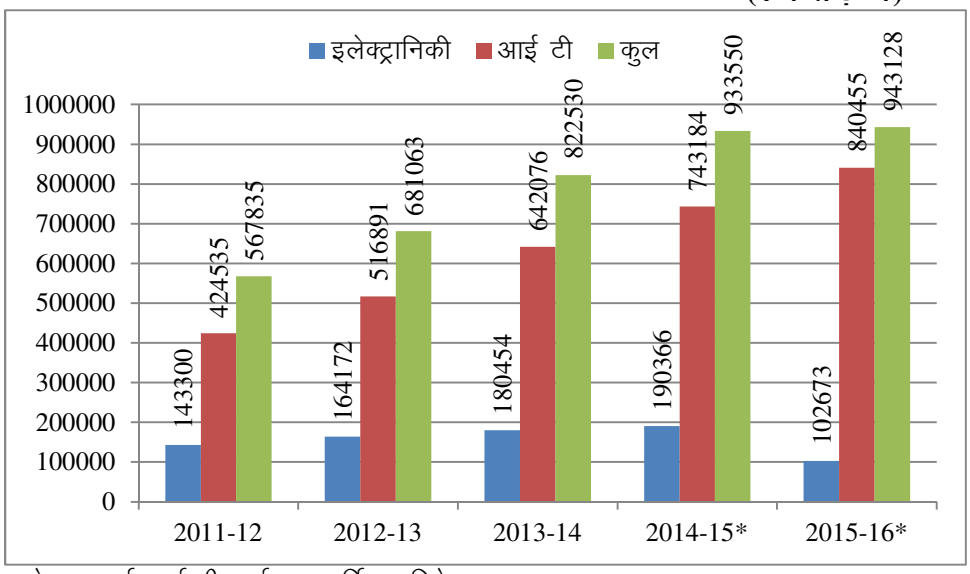

(स्रोतः एम ई आई टी वाई का वार्षिक प्रतिवेदन)

** अनुमानित आँकड़ें उद्योग संघ, मंत्रालयों एवं अन्य संगठनों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।*

विभाग का मानना है कि इलेक्ट्रानिकी एवं आई टी–आई टी ई एस उद्योग के सतत् समग्र विकास का मुख्य कारण तुलनात्मक रूप से सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं में अधिक वृद्धि है जो कि अधिकांशतः निर्यात संचालित है तथा इलेक्ट्रानिकी एवं आई टी क्षेत्र पर प्रभुत्व रखती है।

अपने कार्यों के निर्वहन हेतु एम ई आई टी वाई को भारत सरकार से अनुदान के रुप में बजटीय समर्थन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुदान के सापेक्ष एम ई आई टी वाई द्वारा किया गया व्यय, नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका-7
अनुदान के सापेक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान राशि	कुल व्यय
2011-12	3,048	2,074
2012-13	3,051	1,903
2013-14	3,052	2,166
2014-15	3,929	3,583
2015-16	2,759	2,594
कुल	**15,839**	**12,320**

(स्रोतः एम ई आई टी वाई के विनियोजन लेखे)

एम ई आई टी वाई के अधीन दो संलग्न कार्यालय नामतः राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) तथा मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी) के अतिरिक्त पाँच संगठन[8] और सात स्वायत्त सोसायटी[9] है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी), केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को आधारभूत नेटवर्क और ई–शासन की सुविधा प्रदान करता है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग में निम्नलिखित क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सेवाओं की वृहत् श्रृंखला प्रदान करता है।

(क) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं,

(ख) राज्य क्षेत्र एवं राज्य प्रायोजित परियोजनाओं, तथा

(ग) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाओं

मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी)

वर्ष 1980 में स्थापित एस टी क्यू सी, अपने ग्राहकों को अत्याधुनिक तकनीक आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने तथा आई टी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये एम ई आई टी वाई आदेश पत्र के साथ एकरूप होने के लिये, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वसनीय सेवा प्रदाता है।

1.5.1 मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी एस यू)

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है:

[8] प्रमाणन प्राधिकारियों का नियंत्रक (सी सी ए), साइबर अपीलीय प्राधिकरण (सी वाई ए टी), सेमीकन्डक्टर इन्टीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट–डिजाइन रजिस्ट्री, भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (आई सी ई आर टी) और इन रजिस्ट्री

[9] कम्प्यूटर नेटवर्किंग में शिक्षण एवं शोध (अरनैट), उच्च संगणना विकास केन्द्र (सी–डैक), इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (सी–मैट), राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ई एल आई टी), प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिकी अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान सोसायटी (समीर), भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी आई) एवं इलेक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात प्रोन्नति परिषद (ई एस सी)

मीडिया लैब एशिया

मीडिया लैब एशिया, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत आम आदमी को आई सी टी के लाभ दिलाने के उद्देश्य से बनायी गयी गैर–लाभकारी कम्पनी है। मीडिया लैब एशिया के अनुप्रयोग क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा, आजीविका एवं विकलांगों के सशक्तिकरण में आई सी टी का उपयोग शामिल करते हैं। यह कम्पनी गारन्टी द्वारा सीमित है और इसके पास कोई अंश पूँजी नहीं है। इसकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) और 143(6) के अर्न्तगत सौंपी गयी है। कम्पनी विकास कार्य के लिये प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम करती है। कम्पनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 67.64 करोड़ अर्जित किये हैं जिसमें से ₹ 67.59 करोड़ सहायता अनुदान के द्वारा प्राप्त किये हैं। वर्ष 2015-16 के लेखें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2017)।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवायें इंक (एन आई सी एस आई)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं इंक (एन आई सी एस आई) को सरकारी संगठनों को पूर्ण आई टी समाधान उपलब्ध कराने के लिये, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधीन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत 1995 में स्थापित किया गया था। एन आई सी एस आई का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित कर भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्रदान करना है। कम्पनी का कुल राजस्व ₹ 929.99 करोड़ था और कर के बाद अधिशेष ₹ 68.72 करोड़ था।

1.6 बजट और व्यय नियंत्रण

डी ओ टी, डी ओ पी तथा एम ई आई टी वाई के सम्बन्ध में वर्ष 2015-16 के लिये विनियोजन लेखों का सारांश तालिका-8 में दिया गया है:

तालिका-8

संचार मंत्रालय के अधीन दोनों विभागों तथा इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दिये गये अनुदान (वोटेड एवं चार्ज्ड) तथा उनके द्वारा किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोजन (अनुपूरक अनुदान सहित)	कुल व्यय	(-) बचत/ (+) आधिक्य
1.	दूरसंचार विभाग	23,643.37	23,584.81	(-) 58.56
2.	डाक विभाग	20,532.66	19,989.84	(-) 542.82
3.	इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2,759.01	2,594.19	(-) 164.82

(स्रोतः वर्ष 2015-16 के लिए विभागों के विनियोजन लेखे)

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (सिविल)

लोकसभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी किये कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सदन पटल पर रखे जाने के तुरन्त बाद, इसमें सम्मिलित विभिन्न अनुच्छेदों पर की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही दर्शाते हुए, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणी प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त हुए वर्षों के

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियों (ए टी एन) का प्रस्तुतीकरण तीन माह की अवधि के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए और अनुशंसा की, कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष और आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों पर ए टी एन, संसद में प्रतिवेदन के रखे जाने के चार माह के अन्दर, लेखापरीक्षा से विधिवत् पुनरीक्षण करवाकर, उनको प्रस्तुत किये जायें।

इसके अतिरिक्त, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद को प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोकसभा) में अनुशंसा की, कि उपचारात्मक कार्यवाही करने और पी ए सी को ए टी एन प्रस्तुत करने में असामान्य देरी के सभी मामलों में मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

वर्ष 2016 की अवधि तक संघ सरकार (संचार व आई टी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों पर ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि मार्च 2017 तक संचार मंत्रालय के अन्तर्गत दो विभागों अर्थात् डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और एम ई आई टी वाई से सम्बन्धित 51 अनुच्छेदों के सम्बन्ध में ए टी एन लम्बित थे, जैसा कि ***परिशिष्ट–I*** मे वर्णित है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में बनाये गये लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अत: यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी अधिकारी से उपयुक्त और समयबद्व प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये।

लोकसभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न अनुच्छेदों/मूल्याँकनों पर समस्त मंत्रालयों से, उनके द्वारा की गयी उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही को दर्शाते हुए, टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया (जुलाई 1985)। इस प्रकार की टिप्पणियाँ उन अनुच्छेदों/मूल्यांकनों के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की समिति (सी ओ पी यू) द्वारा विस्तृत जाँच के लिए चयनित नहीं किया गया था। सी ओ पी यू ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998-99 बारहवीं लोकसभा) में उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए, अनुशंसा की:

- पृथक-पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही टिप्पणियों (ए टी एन) के प्रस्तुतीकरण के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक अनुश्रवण प्रकोष्ठ की स्थापना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत अनेकों पी एस यू से सम्बन्धित अनुच्छेदों को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनों के सम्बंध में ए टी एन के प्रस्तुतीकरण के अनुश्रवण हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) में एक अनुश्रवण प्रकोष्ठ की स्थापना; तथा

- संसद में प्रस्तुत किये गये सी ए जी के समस्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की तिथि से छः माह के भीतर, लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् पुनरीक्षित, ए टी एन पर अनुवर्ती कार्यवाही का समिति को प्रस्तुतीकरण।

उपर्युक्त अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सी ओ पी यू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000-तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्ववर्ती अनुशंसाओं को दोहराया कि डी पी ई को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा पृथक-पृथक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट पर्यवेक्षणों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु स्वंय डी पी ई में एक पृथक अनुश्रवण प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। तद्नुसार, अगस्त 2000 से सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा ए टी एन के प्रस्तुत करने पर अनुवर्ती कार्यवाही का अनुश्रवण करने के लिए डी पी ई में एक अनुश्रवण प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। सम्बंधित मंत्रालयों में भी सी ए जी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर ए टी एन प्रस्तुत करने के लिए अनुश्रवण प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं।

पुनः, सचिवों की समिति की बैठक (जून 2010) में यह निर्णय लिया गया था कि अगले तीन माह के अन्दर सी ए जी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों और सी ओ पी यू की अनुशंसाओं पर लम्बित ए टी एन/ए टी आर का निपटान करने हेतु विशेष प्रयास किये जाये। इस निर्णय (जुलाई 2010) को संप्रेषित करते हुए वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए संस्थागत तंत्र की अनुशंसा की।

संचार मंत्रालय एवं एम ई आई टी वाई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पी एय यू से सम्बंधित वर्ष 2016 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में पता चला कि मार्च 2017 की स्थिति में, 96 अनुच्छेदों के सम्बन्ध में ए टी एन लम्बित थे, जिनमें से 3 अनुच्छेदों पर ए टी एन अभी तक प्राप्त ही नहीं हुए थे, जैसा ***परिशिष्ट-II*** में वर्णित है।